राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

क्रमांक : एफ–10 / खेल अकादमी / भोजन / 2018 / दिनांक :

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या ...5... दिनांक .18/05..2018

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के अधीन विभिन्न स्थानों पर संचालित बालक / बालिका आवासीय खेल अकादमियों में वर्ष 2018–19 की भोजन व्यवस्था की जानी है। भोजन व्यवस्था आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। संबधित पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in तथा www.rssc.in पर देखा जा सकता है।

निविदा डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि :– 19-05-2018

निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :– 19-06-2018 **दोपहर 1:00 बजे तक**

तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि :– 19-06-2018 **दोपहर 3:00 बजे**

निविदा के कार्य का नाम :– राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा निम्न स्थानों पर संचालित बालक / बालिका आवासीय खेल अकादमियों में वर्ष 2018–19 की भोजन व्यवस्था।

क्र.स.	अकादमी का नाम	खिलाडियों की संख्या	अनुमानित राशि	धरोहर राशि अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	निविदा शुल्क	ई टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क
1	बालक कबड्डी अकादमी, करौली	18	16,20,000/–	32,400/–	500/–	1,000/–
2	बालक वॉलीबाल अकादमी, झुन्झुनू	24	21,60,000/–	43,200/–	500/–	1,000/–
3	बालक एथलेटिक्स अकादमी, गंगानगर	20	18,00,000/–	36,000/–	500/–	1,000/–
4	बालक कुश्ती अकादमी, भरतपुर	30	27,00,000/–	54,000/–	500/–	1,000/–

नोट :– भुगतान का प्रकार

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक जो सचिव, **राजस्थान राज्य क्रीडा** परिषद, जयपुर के नाम देय होगा।
2. ई टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क, Managing Director RISL (Payable at Jaipur)
3. प्रत्येक स्थान के कार्य हेतु पृथक–पृथक निविदा डाउनलोड करनी होगी एवं **निविदा शुल्क एवं** ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि पृथक–पृथक देय होगी **जो कि परिषद कार्यालय के** मुख्य रोकडपाल दिनांक 19-06-2018 समय प्रातः 1:00 **बजे तक पत्र के साथ ऑफलाईन** जमा करानी होगी, जिस पर निविदा कार्य का नाम, ई निविदादाता का नाम, **डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या इत्यादि स्पष्ट अंकित करें।**

सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

क्रमांक : एफ–10 / खेल अकादमी / भोजन / 2018 / दिनांक :

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 5 दिनांक 18 / 05 / 2018

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के अधीन विभिन्न स्थानों पर संचालित बालक / बालिका आवासीय खेल अकादमियों में वर्ष 2018–19 की भोजन व्यवस्था की जानी है। भोजन व्यवस्था आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा केवल अधिकृत सेवा प्रदाताओं से ही ऑन–लाईन बिड आमंत्रित की जाती है। आवेदक द्वारा ऑन–लाईन बिड के अन्तर्गत चाहे गये तकनीकी दस्तावेज के साथ EMD, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस शुल्क जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पक्ष में देय होगा को डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व ऑफ लाईन जमा कराना होगा। ऑन–लाईन तकनीकी / वित्तीय बिड दिनांक .... दोपहर 1:00 बजे तक Online प्रस्तुत की जा सकेगी।

तकनीकी बिड दिनांक .... को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी रूप से योग्य आवेदकों की ही वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तों का अवलोकन आई.डी. संख्या के अन्तर्गत www.rssc.in ,eproc@rajasthan.gov.in एवं www.sppp.nic.in पर किया जा सकता है।

किसी भी निविदा, निविदा के अंश अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना किसी भी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदनकर्ता के पास वैद्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट–(DSC) जो कि Class-III की होना आवश्यक है। बिड डालने से पूर्व DSC eproc@rajasthan.gov.in की Website पर रजिस्टर करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हैल्पडेस्क (eproc-cell) 0141–4022688 or mail eproc@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सचिव

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद,

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

बोली डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि एवं समय :– .... समय दोपहर 01.00 बजे से
तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय :– .... दोपहर 03.00 बजे

भोजन व्यवस्था हेतु ई–बोली निविदा सूचना संख्या .... दिनांक ....

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता
....
....
....
2. दूरभाष संख्या ....मोबाइल नम्बर ....
ई–मेल आईडी...
3. बोली जिसे सम्बोधित की जानी है :– सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।
4. बोलीदाता का :– पैन नं. ....(प्रतिलिपि संलग्न करें।)
टेन नं. ....(प्रतिलिपि संलग्न करें।)
सर्विस टेक्स पंजीयन प्रमाण–पत्र/बिक्री कर/वेट/GST रजिस्ट्रेशन नं. ....(प्रतिलिपि संलग्न करें।)
फूड लाइसेन्स की प्रतिलिपि संलग्न करें।
5. अनुभव प्रमाण पत्र (छायाप्रति संलग्न करें।)
6. बोली शुल्क की राशि रूपये 500/– रूपये मात्र तकनीकी बोली खोलने से पूर्व ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
7. हम राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा जारी की गई इस बोली में वर्णित सभी शर्तों से तथा उक्त बोली की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनके उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। हम राज्य सरकार के उपापन संबंधी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते है।
8. तकनीकी बिड/वित्तीय बिड विधिवत ऑन–लाईन प्रस्तुत करना होगा।
9. बयाना राशि के पेटे राशि रूपये ....जरिये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 1000/– रूपये का डी0डी0 जो कि MD. RISL, Jaipur के पक्ष में देय होगा, संलग्न है।

11. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संलग्न मिनू अनेक्चर ''एफ'' (जिसे हमने देख लिया है) के अध्ययन उपरान्त अनुमोदित/निर्धारित मीनू दी गई मात्रा के अनुसार निर्धारित समय पर उपलब्ध कराये जाने के लिए सहमति देता हूं।
12. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के अधीन विभिन्न स्थानों पर संचालित आवासीय बालक व बालिका अकादमियों में वर्ष 2018—19 के लिए निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन व्यवस्था कर दी जावेगी।
13. भोजन उत्कृष्ट गुणवत्ता का होगा। इस संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जावेगा। कमेटी द्वारा समय—समय पर जांच की जायेगी।
14. ऊपर उद्धरित की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।
15. बोलीदाता की सशर्त बोली को रद्द समझा जावेगा बालक बालिकाओं की वास्तविक उपस्थिति के अनुसार फर्म को भुगतान किया जावेगा।
16. निर्धारित भोजन मीनू में परिवर्तन का अधिकार राजस्थान राज्य कीडा परिषद में सुरक्षित है।

हस्ताक्षर ई—बोलीदाता

नाम व पता ....

..

मोबाईल नंबर ....

<u>प्रतिबंध एवं शर्ते</u>

टिप्पणी :– ई–बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी ई–बोली भेजते समय इन्हे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

1. बोलीओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से ऑनलाईन अपलोड करनी होगी।

2. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलीओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3. बोलीदाता को अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर, के नाम से देय होगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट ऑफलाईन परिषद कार्यालय में जमा कराना होगा। निविदा शुल्क एवं ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट भी ऑफलाईन जमा कराने होगें।

4. बोलीदाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखनी चाहिए। दरे पृथक–पृथक आईटम वाईज अंकित की जानी चाहिए।

5. **न्यूनतम बोलीदाता की दर निर्धारण के लिए बोलीदाता द्वारा बोली फर्म में प्रस्तुत कुल राशि को आधार माना जावेगा। जिसके आधार पर Lowest का निर्धारण होगा।**

6. बोलीयें उनके खोले जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक के लिये विधिमान्य होगी।

7. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे पर नहीं देगा।

8. बोलीदाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

9. धरोहर राशि :–

   (क) बोली के साथ (बोली सूचना के अनुसार) धरोहर राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना बोलीओं पर विचार नही किया जायेगा।

   (ख) असफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

   (ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं को पूर्ण हो जाने के कारण परिषद् कार्यालय के पास पूर्व से जमा राशि धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नही किया जावेगा।

10. धरोहर राशि का समपहरण :– धरोहर राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर लिया जायेगा :–

   (i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

   (ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहीत किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

   (iii) जब बोलीदाता ठेके के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हों।

   (iv) जब वह विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो।

11. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–

   (i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से तीन दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र 1000/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कराना होगा तथा जिस कार्य के लिए बोलीयें स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, अनुबंध पत्र निष्पादित करने से पूर्व जमा करायी जायेगी।

   (ii) बोली के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जावेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में धरोहर राशि से कम की नही होगी।

(iii) प्रतिभूति की राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें :–

(क) बैंक ड्राफ्ट/नकद

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया में नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

12. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर लिया जायेगा :–

(i) जब संविदा की शर्तों का उल्लघन किया गया हो।

(ii) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने मे असफल हो।

(iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृतकरने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर बोली को रद्द करने का अधिकार, सचिव राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को होगा।

14. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा के शर्तों के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए परिषद् का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।

15. ठेकेदार द्वार शर्तों के उल्लघन करने पर अनुपातिक रूप से ठेके की राशि में से कटौती की जावेगी।

16. ठेकेदार द्वारा बोली के साथ फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, सेवा कर पंजीयन प्रमाण–पत्र, GST पंजीयन प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र एवं खाद्य लाइसेंस संलग्न किये जायेगें।

17. ठेकेदार को किए जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान में से आयकर एवं बिक्रीकर की राशि की नियमानुसार कटौती की जावेगी।

18. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्तें आरोपित करता है तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर को बोली नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलायें किसी भी बोली को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखेगा।

20. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभि प्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्या।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

21. सेवा प्रदाता को किसी सरकार एकेडमी/हॉस्टल एवं संस्था में विगत 3 कलेण्डर वर्ष में कम–से–कम 40 व्यक्तियों को न्यूनतम छः माह तक भोजन बनाने व परोसने का अनुभव होना चाहिए। भोजन प्रदाय करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

22. अवधि के दौरान लगभग 35 खिलाडियों को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन व्यवस्था की संख्या में कमी या वृद्धि यथा आवश्यकता की जा सकती है परन्तु ऐसी कमी या वृद्धि का प्राप्त बोली की दरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा एवं वास्तविक उपस्थित संख्या के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा।

23. निर्धारित भोजन मीनू में परिर्वतन का अधिकारी राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में सुरक्षित है।

24. संस्था से भोजन कार्य में किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। भोजन कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीडित नही होना चाहिए। भोजन कर्मचारी अनिवार्य रूप से प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित पोशाक में उपस्थित रहेगे। बाल मजदूरी निषेध रहेगी।

25. भोजन बनाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली आवश्यक गैस की भट्टी, गैस सामग्री आदि की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जावेगी। अतः समेकित दर खाना, चाय, नाश्ता आदि बनाने की दरें मय उपयोग में ली जाने वाली गैस की लागत, भट्टी की मरम्मत–रखरखाव, खाना बनाने के बर्तन, पानी एकत्र करने के बर्तन, खाने के बर्तन, क्राकरी–कटलरी, बर्तन धोना एवं अन्य आवश्यक उपयोगी बर्तन मय समस्त करों एवं अनुषंगिक प्रभारों सहित प्रस्तुत की जावें। गैस सिलेण्डर नियमानुसार व्यावसायिक श्रेणी का उपयोग लेना सुनिश्चित करें।

26. बोलीदाता को रसोई कक्ष, भोजन स्थल पर पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी।

27. भोजन व्यवस्था खिलाडियों के लिए टेबिल पर सर्व करनी होगी एवं अन्य मेहमान/अतिथि/वार्डन (यदि कोई हो तो) आदि की व्यवस्था टेबिल पर बुफे आधार पर करनी आवश्यक होगी।

28. गुणवत्ता में अतिउत्तम एगमार्क सौ किलोग्राम गेहूं के आटे में 15 किलोग्राम सोयाबीन पाउडर मिलाकर चपाती/रोटी बनानी होगी।

29. भोजन की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। भोजन की गुणवत्ता के संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का समझोता नहीं किया जावेगा। खाने में अतिउत्तम गुणवत्ता एगमार्को की मूंगफली रिफाईण्ड तेल व मसाले को ही प्रयोग में लाना होगा। परिषद द्वारा किसी भी समय भोजन की क्वालिटी टेस्टींग की गुणवता का औचक निरीक्षण किया जा सकता है एवं निम्न गुणवता की भोजन संमग्री पाई जाने पर उसे नस्ट कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार के खिलाफ निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :–

1. प्रथम बार दोषी पाये जाने पर रू. 5,000/–
2. द्वितीय बार दोषी पाये जाने पर रू. 10,000/–
3. तृतीय बार दोषी पाये जाने पर रू. 20,000/–

तथा चौथी बार दोषी पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा, तथा अतिरिक्त शास्ती लगाई जावेगी एवं ब्लेंक लिस्ट कर दिया जावेगा।

30. भोजन की व्यवस्था बालक अकादमी एवं बालिका अकादमी दोनों में ही अलग–अलग करनी होगी एवं बोलीदाता को बालकों एवं बालिकाओं की संख्या यथा समय अवगत करा दी जायेगी।

31. बालिका छात्रावास में महिलाकर्मी एवं बालक छात्रावास में पुरूषकर्मी को ही भोजन कार्य हेतु लगाया जावेगा।

32. भोजन बनाने व परोसने में स्वच्छता के मापदण्डों का पालन किया जायेगा। किसी कारण खाद्य अपमिश्रण (रोकथाम) अधिनियम 1955 के तहत मास फूड पॉयजनिंग जैसी घटना कारित होती है तो बोलीदाता इसके लिए जिम्मेदार होगा।

33. भोजन कार्यो का विवरण में दिये गये भोजन कार्य को करते समय यदि किसी भोजन कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से दुर्घटना ग्रस्त/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिए मुआवजा आदि लेने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नही होगा।

34. यदि कर्मचारियों की नियमानुसार कटौती की जानी है तो इस प्रकार की कटौती को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। फर्म को श्रम एवं रोजगार विभाग के सभी नियमों का पालन करना होगा।

35. बोलीदाता द्वारा नियुक्त रसोई कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा।

36. समस्त भोजन कार्य करने के पश्चात रसाई की सफाई एवं कचरे का उचित प्रकार से निस्तारण व्यवस्था बोलीदाता को करनी होगी।

37. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के चाल–चलन, चरित्र आदि के संबंध में स्वंय जिम्मेदार होगा।

38. सभी वेटर एक निश्चित ड्रेस में उपस्थित रहेगे तथा ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के संक्रमण रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

39. कार्य समाप्ति के पश्चात् बोलीदाता द्वारा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। किसी भी सूरत में अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। विवादास्पद

मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।

40. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जावेगी। अन्यत्र नहीं की जायेगी।

41. ठेकेदार द्वारा परिषद की किचन का किसी भी प्रकार से वाणिज्यक उपयोग नहीं किया जायेगा। अकादमी में तैयार की गई भोजन सांमग्री का बहार विक्रय नहीं किया जावेगा।

42. यदि किसी भी फर्म से ठेकेदार भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो उससे निर्धारित दर से दुगनी दर से राशि वसूलनीय होगी।

43. सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम की शेष शर्तें भी लागू होगी।

उपरोक्त भोजन कार्य संबंधी शर्ते मैने/हमने पढ ली है, और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर ई–बोलीदाता

मोबाईल नम्बर

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

बोलीदाता का नाम व पता ....

....

....

क्र. सं.	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)
1	बोली प्रपत्र मय शर्तों के हस्ताक्षर कर संलग्न किया।	
2	बोली के साथ धरोहर राशि नकद/ बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।	
3	GST पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	
4	अनुभव प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई। किसी सरकारी एकेडमी/हॉस्टल, संस्था में विगत 3 कलेण्डर वर्ष में कम से कम 40 व्यक्तियों को न्यूनतम 6 माह तक भोजन बनाने व प्रदाय करने के कार्य अनुभव।	
5	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खाद्य पदार्थ तैयार कर आपूर्ति करने का लाइसेंस की छायाप्रति (वेज एवं नॉनवेज)।	
6	अन्य प्रपत्र जो बोलीदाता संलग्न करना चाहे।	
7	Tax Clearance प्रमाणपत्र मार्च 2018 तक।	
8	सेवा का संतोषजनक प्रमाण–पत्र	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय सील

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or
(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No..............Dated...............I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy.Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan.The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan,Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financialbids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement

(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations

(d) Cancellation of a procurement process

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post orauthorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**
   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:
   i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
   ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
   iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**
   (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
   (i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**
   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

TECHNICAL BIDS

नोट :—टेक्निकल बिड मय शर्तो, अमानत राशि, दस्तावेजों की सूची, अनेक्चर ''बी '' व निविदा की शर्तो आदि के साथ प्रस्तुत की जावे । टेक्निकल बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा।

1. बोलीदाता का नाम..
2. डाक का पता ....
....
....
3. टेलिफोन नं. (कार्यालय) ....
   (निवासी) ....
   ई—मेल आईडी ....
   (पैन नं0) ....
4. बयाना राशि का विवरण :— डी.डी. / बैंकर्स चैक, बैंक ....दि. .... राशि ....
5. विनिर्माता / अधिकृत सेवाप्रभाता होने का प्रमाण—पत्र।
6. TIN No. ....
   PAN No. ....
   GST Registration No. ....

   मैं / हम इस ई—निविदा की समस्त शर्तों से आबद्ध होना स्वीकार करते हैं। करार निष्पादित करने की सहमति देता हैं।
7. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा निम्न लिखित संलग्न मीनू (जिसे हमने अनेक्चर ''एफ'' पर देख लिया है) के अध्ययन उपरान्त अनुमोदित / निर्धारित मीनू दी गई मात्रा के अनुसार निर्धारित समय पर उपलब्ध कराये जाने के लिए सहमति देता हूं।

<u>टेक्निकल बिड</u> भोजन व्यवस्था निर्धारित मीनू संलग्न है।

हस्ताक्षर
ई—बोलीदाता / अधिकृत प्रतिनिधि
(मय सील)

<u>अनेक्चर–ई</u>

<u>ई–बोलीदाताओं द्वारा घोषणा जो तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जानी है</u>

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के अधीन विभिन्न स्थानों पर संचालित बालक/बालिका आवासीय खेल अकादमियों में वर्ष 2018–19 की भोजन व्यवस्था की जानी है। भोजन व्यवस्था जिन के लिए निविदा दी है, उसके लिए मैं/हम सक्षम हूं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो हमारे विरूद्ध सभी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहरत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा एवं हमें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अनर्हकारी माना जा सकेगा।

नोट : इस घोषणा को ऑफ लाईन 100/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।

ई–बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

ई–बोलीदादाता का नाम––––––––––––––––

पूर्ण पता––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

टेलिफोन नं. (निवास)––––––––––––––––

(कार्यालय).–––––––––––––––––

फैक्स/ई–मेल –––––––––––––––––

भोजन मीनू

एनेक्सर ''एफ''

वार	प्रातः काल अभ्यास से पहले	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	सायंकाल अभ्यास के बाद	रात्रि का भोजन	रात्रि भोजन के बाद
सोमवार	चाय, बिस्कुट	500 एम.एल दुध, ब्रेड 4, मक्खन/जैम 20 ग्राम, दो आंवलें/दो अण्डें (उबले), कानफ्लेक्स, चना 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, दाल सोयाबीन, सलाद, रोजाना, 150 ग्राम दही, अचार, पापड, सीजनल सब्जी, फल।	1 गिलास ज्यूस/वेज सूप	चपाती, सलाद, दाल, अचार, सीजनल सब्जी।	250 एम.एल दूध।
मंगलवार	चाय, बिस्कुट	500 एम.एल दुध, ब्रेड 4, मक्खन/जैम 20 ग्राम, दो आंवलें/दो अण्डें (उबले), दलिया मीठा, चना 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, दाल मिक्स, सलाद, रोजाना, 150 ग्राम दही, अचार, कडी पकोडा की सब्जी, फल।	1 गिलास ज्यूस/वेज सूप	चपाती, सलाद, छोले की सब्जी, दाल, अचार।	250 एम.एल दूध।
बुधवार	चाय, बिस्कुट	500 एम.एल दुध, ब्रेड 4, मक्खन/जैम 20 ग्राम, दो आंवलें/दो अण्डें (उबले), दलिया मीठा, चना 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, राजमा (छोटा), सलाद, रोजाना, 150 ग्राम दही, अचार, सीजनल सब्जी, फल ।	1 गिलास ज्यूस/वेज सूप	चपाती, 100 ग्राम पनीर या 200 ग्राम चिकन, सलाद, अचार।	250 एम.एल दूध।
गुरूवार	चाय, बिस्कुट	500 एम.एल दुध, ब्रेड 4, मक्खन/जैम 20 ग्राम, दो आंवलें/दो अण्डें (उबले), पोहे, मूंग मोट 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, दाल, पापड, सलाद, रोजाना, 150 ग्राम दही, अचार, सीजनल सब्जी, फल।	1 गिलास ज्यूस/वेज सूप	चपाती, सलाद, गट्टे की सब्जी, दाल, अचार, खीर/आईसक्रीम।	250 एम.एल दूध।
शुक्रवार	चाय, बिस्कुट	500 एम.एल दुध, ब्रेड 4, मक्खन/जैम 20 ग्राम, दो आंवलें/दो अण्डें (उबले), दलिया मीठा, चना 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, दाल, सलाद, रोजाना, 150 ग्राम दही, अचार, सोया–मंगोडी सब्जी, फल।	1 गिलास ज्यूस/वेज सूप	चपाती, 100 ग्राम मशरूम पनीर या 200 ग्राम चिकन, सलाद, अचार।	250 एम.एल दूध।
शनिवार	चाय, बिस्कुट	500 एम.एल दुध, ब्रेड 4, मक्खन/जैम 20 ग्राम, दो आंवलें/दो अण्डें (उबले), पोहे, मूंग मोट 50 ग्राम अंकुरित।	चपाती, चावल, दाल, सलाद, रोजाना, 150 ग्राम दही, अचार, सीजनल सब्जी, फल।	1 गिलास ज्यूस/वेज सूप	चपाती, सलाद, सीजनल सब्जी, दाल, अचार, खीर।	250 एम.एल दूध।
रविवार	चाय, बिस्कुट	आलू के पराठे/छोले बटुरें एवं 250 ग्राम दही।	चपाती, वेजपुलाव, सीजनल सब्जी, 150 ग्राम दही, सलाद, पापड, फल।	1 गिलास ज्यूस/वेज सूप	चपाती, 100 ग्राम पनीर या 200 ग्राम मटन (बकरें का), सलाद, अचार।	250 एम.एल दूध।

नोट :– चपाती के आटे में 10 प्रतिशत सोयाबीन का पाउडर मिक्स करना होगा यानि की 10 किलो आटे में 1 किग्रा. सोयाबीन पाउडर डालना होगा।

खेल प्रबंधक,
खेल छात्रावास/अकादमी

सचिव

FINANCIAL BIDS

1. बोलीदाता का नाम..
2. डाक का पता ....

....

....

3. टेलीफोन नं. (कार्यालय)......................................
   (निवास) ....
   (पैन नं0) ....
4. बयाना राशि का विवरण :— डी.डी. / बैंकर्स चैक, बैंक............................दि. ....
   राशि ....

<u>वित्तीय बिड</u> भोजन व्यवस्था के लिये निर्धारित मेनू के अनुसार दरें निम्न प्रकार होगी।

FORMAT FOR PRICE QUOTATIONS OF ITEMS

क्र. सं.	देय भोजन का विवरण	कुल संख्या प्रति खिलाड़ी / प्रतिदिन	रूपये
1	प्रातः की चाय, पारले—जी बिस्किट	1, 2	
2	प्रातःकाल का नाश्ता	1	
3	दोपहर का भोजन	1	
4	सांय का ज्यूस	1	
5	प्रातः एवं रात्रि का दूध	2	
6	रात्रि का भोजन	1	
कुल राशि प्रति खिलाड़ी / प्रतिदिन रूपये			

न्यूनतम दर चयन का आधार होगी।

ई—बोलीदाता / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
मय मोहर